प्रेस नोट
दिनांक 08.04.2026

थाना नवाबगंज पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में 01 अंतर्जनपदीय शातिर पशु चोर गोली लगने से घायल सहित 02 शातिर पशु चोर गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय कारतूस, चोरी में प्रयुक्त चार पहिया वाहन व 1,27,000/— नकद बरामद—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना नवाबगंज की संयुक्त टीम द्वारा चौखड़िया पुल के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान 02 शातिर बदमाशों— 01. दद्दन पुत्र हनीफ, 02. फारुख पुत्र सूरत उर्फ नजीर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद पशु चोरी की घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी व 1,27,000/— रू0 नकद (चोरी की हुई भैसो को बेच कर एकत्र किए गए रूपये) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

जनपद में लगातार पशु चोरी की घटनाएं प्रकाश में आ रही थीं। उक्त घटनाओं को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा—निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में घटनाओं के सफल अनावरण एवं पशु चोरो की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा सक्रिय रूप से क्षेत्र में सघन चेकिंग, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा खुफिया सूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। जिसमें दिनांक 07.04.2026 की देर रात्रि को एस0ओ0जी0/सर्विलांस व थाना नवाबगंज की पुलिस टीम क्षेत्र में भ्रमणशील थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पशु चोर चौखड़िया पुल की तरफ आ रहे है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीमों द्वारा चौखड़िया पुल के पास पकड़ने का प्रयास किया गया। जिसमें पशु चोरों द्वारा स्वयं को घिरता हुआ पाकर पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी फायरिंग में अभियुक्त दद्दन पुत्र हनीफ के पैर में गोली लगी। इस दौरान उसका साथी अभियुक्त फारुख पुत्र सूरत उर्फ नजीर द्वारा मौके से भागने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने तत्परता से घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल गोण्डा में भर्ती कराया गया। पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद पशु चोरी की घटना में प्रयुक्त पिकअप गाड़ी व 1,27,000/— रू0 नकद (चोरी की हुई भैसो को बेच कर एकत्र किए गए रूपये) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हैं और रात्रि के समय ग्रामीण क्षेत्रों में घरों/खेतों से भैंसों की चोरी करते थे। चोरी के पशुओं को पिकअप वाहन में लादकर अन्य जनपदों में ले जाकर बेच देते थे और प्राप्त धनराशि आपस में बांट लेते थे। गिरोह द्वारा जनपद गोण्डा, बस्ती, अयोध्या सहित आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. दद्दन पुत्र हनीफ निवासी ग्राम शेखपुरा जफर थाना रौनाही जनपद अयोध्या।
02. फारुख पुत्र सूरत उर्फ नजीर निवासी शेखपुरा जफर थाना रौनाही अयोध्या।

अनावरित अभियोग—

01. मु0अ0सं0–04 / 2026 धारा 302(2) बीएनएस थाना छावनी जनपद बस्ती।
02. मु0अ0सं0–16 / 26 धारा 305(ए) बीएनएस थाना परसरामपुर जनपद बस्ती।
03. मु0अ0सं0–90 / 26, धारा 303(2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0असं0–86 / 26, धारा 303(2) बीएनएस थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>पंजीकृत अभियोग–</u>

01. मु0अ0सं0–102 / 26, धारा 109,352,351(3) बीएनएस व 3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी–</u>

01. 01 अदद चोरी की घटना में प्रयुक्त पिकअप।
02. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस।
03. 1,27,000 / – रू0 नकद (चोरी की हुई भैसो को बेच कर एकत्र किए गए रूपये)

<u>अभियुक्त दद्दन पुत्र हनीफ का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0– 292 / 2024 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना छावनी जनपद बस्ती।
02. मु0अ0सं0–07 / 25 धारा 303(2),317(2),318(4),319(2),336(2),338,340(2) बीएनएस व 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना छावनी जनपद बस्ती।
03. मु0अ0सं0–581 / 20 धारा 3 / 5ए / 8 पशु क्रूरता व 11,120बी,419,420,467,468,471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती।
04. मु0अ0सं0–253 / 2024 धारा 302(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बस्ती।
05. मु0अ0सं0–132 / 24 धारा 3 / 5ए / 8 पशु क्रूरता थाना परशुरामपुर जनपद बस्ती।
06. मु0अ0सं0–135 / 21 धारा 399,402 भादवि थाना कोतवाली अयोध्या जनपद अयोध्या।
07. मु0अ0सं0– 213 / 23 धारा 3 / 5ए / 8 पशु क्रूरता थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
08. मु0अ0सं0–384 / 23 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।

<u>अभियुक्त फारुख पुत्र सूरत उर्फ नजीर का आपराधिक इतिहास–</u>

01. मु0अ0सं0–256 / 21 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह अधिनियम थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–128 / 25 धारा 303(2) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–244 / 25 धारा 313 बीएनएस व 3 / 25 व 4 / 25 आर्म्स एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0–200 / 21 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना उमरी बेगमगंज जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. श्री अभय सिंह थानाध्यक्ष नवाबगंज मय टीम।
02. श्री गौरव सिंह प्रभारी एस0ओ0जी0 / सर्विलांस।
03. उ0नि0 पंकज यादव।
04. उ0नि0 विभव सिंह।
05. उ0नि0 दूधनाथ चतुर्वेदी।
06. हे0का0 अमित पाठक सर्विलांस सेल।
07. हे0का0 रवि यादव सर्विलांस सेल।
08. हेड का0 रणधीर सिंह एस0ओ0जी0
09. हे0का0 अरूण यादव
10. हे0का0 बिरजू कुमार।

11. हे0का0 श्याम नरायण।
12.. हे0का0 राकेश सिंह।
13. हे0का0 श्याम नारायण।
14. का0 अनुराग पटेल।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 08.04.2026

‘‘ऑपरेशन दहन’’ के तहत ड्रग डिस्पोजल कमेटी द्वारा एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित 71.05 किलो ग्राम मादक पदार्थ (कीमत करीब 01 करोड़ रूपये) को जलाकर किया गया नष्ट-

गोण्डा। श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ‘‘ऑपरेशन दहन’’ अभियान के तहत जनपद गोण्डा में नशा मुक्त अभियान को प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है । इसी अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित बरामद मादक पदार्थों के निस्तारण/विनिष्टीकरण की कार्यवाही निरंतर करायी जा रही है । आज दिनांक 08.04.2026 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पर्यवेक्षण में गठित जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यों की उपस्थिति में मैजापुर चीनी मिल स्थित इन्सीनेटर में जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत एन0डी0पी0एस0 एक्ट के कुल 122 मुकदमों से संबंधित लंबित मालों का विनिष्टीकरण कराया गया। यह कार्यवाही पूर्ण पारदर्शिता, सुरक्षा मानकों एवं विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संपन्न कराई गई । विनिष्टीकरण के दौरान गांजा 54.96 किलोग्राम, चरस 3.548 किलोग्राम, अफीम 0.412 किलोग्राम, स्मैक 0.542 किलोग्राम, डोडा 1.35 किलोग्राम तथा नशीली गोलियां 10.24 किलोग्राम सहित कुल 71.05 किलोग्राम मादक पदार्थों को नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमत लगभग ₹ 01 करोड़ रू0 आंकी गई है। सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए सभी अभिलेखों का विधिवत संधारण भी सुनिश्चित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि गोण्डा पुलिस द्वारा नशा मुक्त समाज के निर्माण हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विगत अवधि में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। जब्त मादक पदार्थों के आज विधिवत विनिष्टीकरण की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस प्रकार की कार्यवाही से न केवल अवैध मादक पदार्थों के पुनः दुरुपयोग की संभावना समाप्त होती है, बल्कि समाज में नशे के विरुद्ध एक सशक्त संदेश भी जाता है। गोण्डा पुलिस भविष्य में भी इसी प्रकार सघन अभियान चलाकर नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही करती रहेगी।

उक्त अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय, जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के सदस्यगण, प्रभारी डीसीआरबी, जनपद के समस्त थानों के हेड मुहर्रिर एवं मैजापुर चीनी मिल के अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.04.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा छिनैती करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का मंगलसूत्र बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0– 301/2026 धारा 304(2) बीएनएस, तरमीम एवं बढ़ोत्तरी धारा 309(6), 317(2) बीएनएस से वांछित अभियुक्त–शहबान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी बनकटवा उम्मेदजोत थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को सिराज ईट भठ्ठा बहद ग्राम खिराभा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

प्रार्थिनी लीलावती पत्नी राकेश जायसवाल निवासी चुंगी नाका, कोतवाली नगर, गोण्डा द्वारा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 05.04.2026 को वह अपनी पुत्री के साथ आटो संख्या UP43BT5603 से वजीरगंज से गोण्डा वापस आ रही थी। रास्ते में जमुनिया बाग से एक अज्ञात व्यक्ति आटो में बैठा तथा बनकटवा दरगाह से आगे लगभग 400 मीटर पर प्रार्थिनी के गले से मंगलसूत्र छीनकर आटो से उतरकर भाग गया। वादिनी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 08.04.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक/मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर घटना कारित करने के आरोपी अभियुक्त–शहबान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी बनकटवा उम्मेदजोत थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा को सिराज ईट भठ्ठा बहद ग्राम खिराभा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. शहबान पुत्र मो0 इस्लाम निवासी बनकटवा उम्मेदजोत थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 301/2026 धारा 304(2) बीएनएस, तरमीम एवं बढ़ोत्तरी धारा 309(6), 317(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद मंगलसूत्र पीली धातु।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री उदित कुमार वर्मा
02. हे0कां0 योगेन्द्र मौर्य
03. हे0कां0 अमित यादव
04. हे0कां0 रावत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.04.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाहीः–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्याँ के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–143/2026 धारा 85/80(2) बी0एन0एस0 व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त– मनोज यादव पुत्र नरेश निवासी ग्राम रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को भौरीगंज मोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 07.04.2026 को वादी जिलेदार यादव पुत्र महन्त यादव निवासी ग्राम असवा माझा लीलार थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गई कि उनकी पुत्री मनीषा की शादी लगभग 03 वर्ष पूर्व मनोज यादव पुत्र नरेश यादव निवासी ग्राम रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा के साथ हुई थी, जिनसे एक पुत्र हिमांशु है। दहेज में मोटरसाइकिल की मांग को लेकर अभियुक्त द्वारा उनकी पुत्री को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 06.04.2026 को दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त द्वारा उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 08.04.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी पति मनोज यादव पुत्र नरेश निवासी ग्राम रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा को भौरीगंज मोड के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मनोज यादव पुत्र नरेश निवासी ग्राम रेक्सड़िया थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 143/2026 धारा 85/80(2) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित सिंह
02. कां0 लालबहादुर यादव
03. कां0 अभिमन्यु भारती

मीडिया सेल, गोण्डा।